

अपर समाहत्ता का न्यायालय, गोड़डा

MWA No - 10 / 2011-12

दिवाकर सिंह

बनाम

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, महगामा

01/03/23

-: आदेश :-

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को सुना एवं दाखिल कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड़डा के न्यायालय में निष्पादित न्यूनतम मजदूरी वाद सं0-14/2009 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, महगामा वगैरह बनाम् दिवाकर सिंह से संबंधित मामला में दिनांक-28.04.2011 को पारित आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में यह वाद दायर किया गया जिसे प्रविष्ट की बिन्दु पर सुनवाई के पश्चात् दिनांक-02.08.2011 को विषयगत वाद अंगीकृत करते हुए पक्षकारों को नोटिश निर्गत किया गया।

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी की ओर से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, महगामा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए उल्लेख किये हैं कि विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय का न्यूनतम मजदूरी वाद संख्या-14/2009 में दिनांक-28.04.2011 को पारित आदेश पूरी तरह से न्यायसंगत एवं प्राकृतिक न्याय के पक्ष में है। उनका आगे कथन है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-20(6) एवं (6-क) में प्रावधान है कि प्रधिकारी के निदेश की तिथि से अधिकतम 60 साढ़ दिनों के अंदर अपील दाखिल करना है। जबकि यह अपील पूर्णतः कालवाधित है जो स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा श्रमिकों का बकाया मजदूरी भुगतान के साथ-साथ क्षतिपूर्ति राशि को बरकरार रखते हुए वर्तमान अपीलवाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

विषयगत केस में निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेखबद्ध कागजातों का सम्यक रूप से अवलोकन के उपरांत पाता हुँ कि वादक्रम में आवेदक दिनांक-09.09.2015 तक उपस्थित हुए हैं परन्तु तत्पश्चात् आवेदक लगातार अनुपस्थित रहे। वादक्रम में सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिश निर्गत किया गया आवेदक दो-तीन तिथियों में उपस्थित भी हुए परन्तु पुनः न्यायालय में सुनवाई तिथि को अनुपस्थित रहने लगे। न्यायालय द्वारा अंतिम मौका प्रदान करते हुए आवेदक को नोटिश निर्गत किया गया। परन्तु आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, गोड़डा द्वारा दिनांक-28.04.2011 को पारित आदेश बरकरार रखते हुए आवेदक के द्वारा विषयगत वाद में कोई अभिरुची नहीं लिये जाने के कारण वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।

लिखाया एवं सुन्दर किया।

अपर समाहत्ता,
गोड़डा।

१०.३.२०२३
अपर समाहत्ता,
गोड़डा।